फॉर्म संख्या 3 [विनियम-15(1)(ए) देखें]/16(3)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण,चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-45 ,सेक्टर-17 ए,चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर श्री अतिरिक्त रवान आवंटित)

केस नं.: ओए/1140/2020

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत समन।

ई–एक्सएच नं. 19461

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
रंजीव कालिया

सेवा में ,

(1) रंजीव कालिया डी/डब्ल्यू/एस/ओ– रंजीव काली,
निवासी मकान नं. एल–124 सरिता विहार, नई दिल्ली 110036, पैन नं. **ANRPK4661M**, नई दिल्ली, दिल्ली
इसके अलावा, रंजीव कालिया सी/ओ अंसल बिल्डवेल लिमिटेड 118 यूएफएफ प्रकाश डीप बिल्डिंग 7 टोस्टॉय मार्ग नई दिल्ली, दिल्ली

(2) शिवानी कालिया पत्नी रंजीव काली, निवासी मकान नं. एल–124 सरिता विहार, नई दिल्ली 110036
पैन नं. ANRPK4661M नई दिल्ली, दिल्ली

(3) मैसर्स अन्सल क्राउन इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
प्रकाश दीप बिल्डिंग 7 टॉलस्टॉय मार्ग नई दिल्ली, दिल्ली,
इसके अलावा, अंसल क्राउन इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड बी–1डी–1 मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली, दिल्ली
इसके अलावा, अंसल क्राउन इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, ओम सुमम टावर्स, नीलम बाटा रोड, फ़रीदाबाद, फ़रीदाबाद, हरियाणा

सम्मन

जबकि, ओए/1140/2020 को 27/07/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि यह माननीय ट्रिब्यूनल **रु. 3742155** के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर अधिनियम, (ओए) की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मनध्नोटिस जारी करता है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

(i) सम्मन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बतायें कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर राहत क्यों न दी जानी चाहिए।
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना।
(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या निपटाने से रोका जाता है।
(iv) ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई संपत्तियां और/या अन्य संपत्ति और संपत्तियां, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य कार्य को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे।
(v) आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह संपत्तियों की बिक्री से आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको आवेदक को उसकी एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और **दिनांक 02.09.2023 को पूर्वाह्न 10:30** बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

दिनांक 28.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत दिया गया आदेश ।

सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष

कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) नं. 13/चंडी./चंडी./2023
से संबंधित
कंपनी याचिका सं. (सीएए) नं. 22/चंडी./चंडी./2023

कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के विषय में
तथा
के बीच की समामेलन की योजना के विषय में

चंडीगढ़ डिस्टिलर्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 99, सेक्टर–3, न्यू शिमला, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009, CIN: U15510HP2009PTC031224
याचिकाकर्ता कंपनी नं. 1/अंतरक कंपनी

और

बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एससीओ 140–141, सेक्टर–34 ए, चंडीगढ़–160022, CIN: U15500CH2011PTC032998
याचिकाकर्ता कंपनी नं. 2/अंतरिती कंपनी

[संक्षिप्तता के लिए, याचिकाकर्ता कंपनी–1 और 2 को इसके बाद सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनी" के रूप में जाना जाएगा]

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अधीन याचिका कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) नं. 13/चंडी./चंडी./2023 से संबंधित कंपनी याचिका सं. (सीएए) नं. 22/चंडी./चंडी./2023 ("याचिका") चंडीगढ़ डिस्टिलर्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच स्थित चंडीगढ़ ("ट्रिब्यूनल") के समक्ष प्रस्तुति दी थी और माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष 15 जून, 2023 को सुनवाई हुई थी। माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार उक्त याचिका माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष 18 सितम्बर, 2023 को सुनवाई हेतु नियत है।

कथित याचिका की सुनवाईं के समर्थन या निषेध के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने आशय का नोटिस स्वयं या उसके वकील द्वारा नाम व पते के साथ हस्ताक्षरित, याचिका की सुनवाईं के लिए निश्चित तिथि को या उससे पहले याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को नीचे दिए गए पते पर पहुंच जानी चाहिए। जहां कोई व्यक्ति कथित याचिका का विरोध करना चाहते है, निषेध के कारणों या शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रदान की जाएगी।

हस्ता/–
अक्षय मित्तल, वकील
मो: +91 9878986688
#1526, सेक्टर 18डी, चंडीगढ़–160018
ई–मेल: office@mgkpartners.com

स्थान: चंडीगढ़
तिथि: 05.08.2023

---

muthoot HOUSING FINANCE

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुवनन्तपुरम-695 034
सीआईएन सं. : U65922KL2010PLC025624, कॉर्पोरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजो, प्लॉट सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई-400051, दूरभाष नं. : 022-62728517
अधिकृत प्राधिकारी ई-मेल आईडी : authorised.oficer@muthoot.com, सम्पर्क व्यक्ति : गोविन्द राम शर्मा – 9212443181, नवीन चौधरी – 9368265544

सार्वजनिक सूचना : सम्पत्ति की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों के प्रयोग में मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि. (इसके पश्चात ''कम्पनी'' सन्दर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों (इसके पश्चात ''प्रतिभूत आस्ति'' सन्दर्भित) पर कब्जा कर लिया है और निम्नलिखित ग्राहकों (इसके पश्चात ''कर्जदार'' सन्दर्भित) को स्वीकृत गृह ऋण के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति के रूप में धारित की है तथा आगे इसे कर्जदारों से अधिबकाये के अन्तिम भुगतान पर उस पर भावी ब्याज एवं व्ययों सहित नीचे वार्णित प्रतिभूत ऋण के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके ''जहाँ है जैसे है,'' ''जो है यहीं है'' ''जैसा है वैसा ही है'' तथा ''उपचार रहित'' आधार पर प्रतिभूत आस्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार/रों का नाम तथा लैन	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार तथा तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) प्रयोज्य भावी ब्याज	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
1.	लैन नंबर: 15100071489 अमित कुमार अग्रवाल सुदेश अग्रवाल दीपिका अग्रवाल	प्लॉट संख्या 184, खसरा संख्या – 1553 पर निर्मित फ्लैट नंबर – एफ 3, तीसरी मंजिल वाली संपत्ति का समस्त भाग, कैलाश पुरम – 2, गांव रायपुर, परगना – डासना, तहसील और जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002 में स्थित, माप 87.79 वर्ग मीटर। प्लॉट की सीमाएं हैं:– पूर्व:– अन्य प्लॉट, पश्चिम:– 22 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर:– प्लॉट नंबर – 185, दक्षिण:– प्लॉट नंबर – 183	रचनात्मक कब्जा – 25–अप्रैल–2023	रु. 1467757.00/– तिथि 03–अगस्त–2023	रु. 12,00,000/–	रु. 1,20,000/–
2.	लैन नंबर: 15100074546 मनोज शर्मा सुधा शर्मा	मकान नंबर बी 254, जहंदापुर परगना लोनी, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201010, भारत	रचनात्मक कब्जा – 22–जून–2021	रु. 1423104.00/– तिथि 03–अगस्त– 2023	रु. 36,00,000/–	रु. 3,60,000/–
3.	लैन नंबर: 15100087046 किशन लाल रजनी देवी	प्लॉट नंबर 307, खसरा नंबर 127 ब्लॉक ई, संगम विहार, नंद ग्राम, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201001, भारत	रचनात्मक कब्जा – 27–नवम्बर– 2021	रु. 736045.00/– तिथि 03–अगस्त–2023	रु. 9,00,000/–	रु. 90,000/–
4.	लैन नंबर: 15100074549 निसार अहमद शमा परवीन	मकान नंबर 550, कैला रोड, कैला भट्टा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201009, भारत	रचनात्मक कब्जा – 13–मई–2022	रु. 1291256.00/– तिथि 03–अगस्त– 2023	रु. 12,00,000/–	रु. 1,20,000/–
5.	लैन नं.: 15100084577 विशाल वैद, परकेश सिंह, बबीता विशाल	खसरा नंबर– 0867 मिन, गांव– बिशोकर मारूफ, मोहल्ला– कृष्णापुरी, मोदीनगर, परगना– जलालाबाद, तहसील– मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201204, भारत	रचनात्मक कब्जा – 13– अप्रैल–2022	रु. 1001840.00/– तिथि 03–अगस्त–2023	रु. 14,00,000/–	रु. 1,40,000/–
6.	लैन नंबर: 15100075105 मोहम्मद वाहिद रिहाना	मकान नंबर 1485, छोटा कैला हदवस्त गांव कैला लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201102, भारत	रचनात्मक कब्जा – 28–अप्रैल–2022	रु. 904354.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 12,50,000/–	रु. 1,25,000/–
7.	लैन नंबर: 15100008455 कैलाश बल्लू राम पुष्पा कैलाश रानी	फ्लैट नं. ए–277, टावर नंबर–10, ब्लॉक–12, दूसरी मंजिल, दिनेश नगर, मोहल्ला रामपुरा पिलखवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश – 245101 का समस्त भाग	रचनात्मक कब्जा – 16– मई–2022	रु. 448025.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 4,50,000/–	रु. 45,000/–
8.	लैन नंबर: 15600090627 नीरव शर्मा सुनील कुमार गंगा शरण शर्मा	376 441, खसरा नंबर 527 522 मिन का हिस्सा, मोहल्ला सुमनपुरी, किशनपुरा, बागपत रोड, उत्तर प्रदेश, मेरठ, 250002, भारत।	रचनात्मक कब्जा – 22–अप्रैल–2022	रु. 716371.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 14,00,000/–	रु. 1,40,000/–
9.	लैन नंबर: 15100078763 सतवीर सिंह सुरेश देवी सतवीर सिंह नागर	ग्राम सद्दीक नगर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी) में 'कृष्णा नगर' में स्थित प्लॉट नंबर 6, खसरा नंबर 1234 की संपत्ति का समस्त भाग, सीमाएँ : उत्तर : सीटू त्यागी प्लॉट, दक्षिण : 12 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व : पहलाद त्यागी प्लॉट, पश्चिम : पहलाद त्यागी का प्लॉट	रचनात्मक कब्जा – 21–अप्रैल–2022	रु. 1318759.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 15,00,000/–	रु. 1,50,000/–
10.	लैन नंबर: 15100093063 संजीव कुमार आरती अतर सिंह	खसरा नंबर 527 मिन, मोहल्ला सत्यलोक आश्रम, मुरादनगर, परगना, जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 201206, भारत सीमाः उत्तर में : मिथलेश का प्लॉट, दक्षिण में : 24 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व में : आर.एन. त्यागी का प्लॉट, पश्चिम में : अन्य प्लॉट।	रचनात्मक कब्जा – 04–मई–2022	रु. 744450.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 13,75,000/–	रु. 1,37,500/–
11.	लैन नंबर: 15100072297 उर्मिला देवी मुरारी लाल चौधरी	संपत्ति प्लॉट नंबर 37 ब्लॉक I, खसरा नंबर 1077 एमआई, महिंद्रा एन्क्लेव, गांव राजापुर, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 245304 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 46 वर्ग गज (38.4606 वर्ग मीटर) सीमाएँ:– पूर्व:–बंसल कुमार का प्लॉट, पश्चिम:–दूसरे का प्लॉट, उत्तर:– 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण:–दूसरे का प्लॉट	रचनात्मक कब्जा – 25–अप्रैल–2023	रु. 221574.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 13,25,000/–	रु. 1,32,500/–
12.	लैन नं.: 15600076413 जीत सिंह रोशन लाल वर्मा रेनू वर्मा	संपत्ति खसरा नंबर 295, गांव फफूंदा, परगना, तहसील और जिला–मेरठ, उत्तर प्रदेश–245206 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.42 वर्ग मीटर, सीमाएँ : पूर्व: श्री हंस का 45 फीट का प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता का 45 फीट का प्लॉट, उत्तर: 30 फीट का रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण: श्रीमती कमलेश वर्मा का 30 फीट का खेत	रचनात्मक कब्जा – 10–अगस्त–2022	रु. 1097209.00/– तिथि 03–अगस्त– 2023	रु. 12,00,000/–	रु. 1,20,000/–
13.	लैन नंबर: 15100079599 ऋषिपाल सिंह विमलेश देवी	संपत्ति खसरा नंबर – 484, प्लॉट नंबर –25 का हिस्सा, बबीता विहार, गांव – खोड़ा, परगना – लोनी, तेहसील और जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 25 वर्ग गज यानी 20.90 वर्ग मीटर जिस पर मकान बना है। सीमाएँ: –पूर्व:– प्लॉट नंबर – 24, पश्चिम:– प्लॉट नंबर – 26, उत्तर:– गणेश के प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण:– रास्ता – 10 फीट।	रचनात्मक कब्जा – 23–मई–2023	रु. 595994.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 11,50,000/–	रु. 1,15,000/–
14.	लैन नंबर: 15100078913 रसीद रियाज रूही रसीद	संपत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. एसएफ –6, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर – 638–बी, मोहल्ला – कैला, हदबस्त और गांव – कैला, परगना – लोनी, तहसील – गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 29.26 वर्ग मीटर. जिस पर उक्त फ्लैट बनाया गया है, एटीएस के अनुसार सीमाः – पूर्वः – अन्य भूखंड, पश्चिमः – सीढ़ी, उत्तरः – अन्य भूखंड, दक्षिणः – प्रवेश, दस्तावेजों के अनुसार सीमाः – पूर्वः – मोहम्मद हसरत की संपत्ति , पश्चिमः–हुजूर साहब अली की संपत्ति, उत्तर:–राजा जाहिर की संपत्ति, दक्षिण:–20 फीट चौड़ी सड़क।	रचनात्मक कब्जा – 24–मई–2023	रु. 740717.00/– तिथि 03– अगस्त–2023	रु. 7,50,000/–	रु. 75,000/–
15.	लैन नंबर: 15100115763 देवेन्द्र अग्रवाल रेनू अग्रवाल ओमपाल	खसरा नंबर 231, गांव–असालत नगर, हनुमान मंदिर, परगना–जलालाबाद, तहसील–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201206 वाली संपत्ति का समस्त भाग, जिस पर घर और दुकान बनी है। भूखंड की सीमाएँ हैं: – पूर्व – विश्वदीप का भूखंड, पश्चिम – जसवन्त का खेत, उत्तर – दीगर मलिक का भूखंड, दक्षिण – देवेन्द्र पाल का घर।	भौतिक कब्जा – 15–जून–2023	रु. 1001125.00/– तिथि 03–अगस्त– 2023	रु. 8,25,000/–	रु. 82,500/–

निरीक्षण की तिथि एवं समय : 21 अगस्त, 2023 एवं 22 अगस्त, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.
नीलामी की तिथि : 12 सितम्बर, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. से 03.00 बजे अप. तथा संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 11 सितम्बर, 2023
बिक्री का स्थान गाजियाबाद शाखा : बी–2, प्रथम तल, आरडीसी, राजनगर, एसबीआई बैंक के ऊपर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201001

इच्छुक संविदाकार उपर्युक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें : (1) बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत मौजूदा दिशा–निर्देशों तथा इच्छुक संविदाकारों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार की जायेगी। (2) सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर ऋणभार, यदि कोई हो, सहित की जायेगी। (3) नीलामी के तहत सम्पत्तियों का निरीक्षण उपर्युक्त निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। सम्पत्तियों के निरीक्षण या निविदाएँ जमा करने से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर सम्बन्धित स्थानों के अधिकृत प्राधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकार आरक्षित मूल्य का 10% जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के लिए ''मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड'' के पक्ष में मुम्बई में देय डिमांड ड्राफ्ट सहित मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त सम्पत्ति हेतु अपने प्रस्ताव भेजेंगे। (4) प्रस्ताव के साथ इच्छुक संविदाकार आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, संविदाकार का पहचान पत्र तथा आवास के प्रमाण की प्रति जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी संलग्न करेंगे। (5) किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा। (6) नीलामी में उपस्थित संविदाकारों को निर्धारित आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त अपनी संविदा रु. 10000/– के गुणक में बढ़ाने की अनुमति होगी। (7) सभी बकाये तथा व्यय जैसे निगम कर, रखरखाव/समिति प्रभार, बिजली तथा पानी के कर या स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्तरण प्रभार तथा कथित सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण से सम्बन्धित अन्य व्यय एवं प्रभारों का भुगतान सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा किया जायेगा। (8) सफल संविदाकार को क्रय राशि का 25% (पूर्वप्रदत्त ईएमडी को समायोजित करके) बिक्री के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 2 कार्यकारी दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिसमें असफल होने पर जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (9) विक्रय मूल्य का शेष, 75% राशि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सफल क्रेता को बिक्री की पुष्टि की सूचना के 15 दिनों के भीतर या अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेकानुसार तथा लिखित में यथासहमत विस्तारित अवधि तक जमा करनी होगी। (10) अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेकानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार रखते हैं। (11) यदि समस्त लागतों, प्रभारों तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा किये गये व्ययों सहित सभी बकाये उपर्युक्त कर्जदार/सह–कर्जदार द्वारा नीलामी की तिथि से एक कार्यकारी दिवस पूर्व अदा कर दिये जाते हैं तो सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी और सम्भावित संविदाकारों से प्राप्त समस्त संविदाएं मैसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध बिना किसी दायित्व/दावे के उन्हें वापस कर दी जायेंगी।

एतद्वारा कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को इस सूचना की तिथि से उपर्युक्त दिनों के भीतर अपटुडेट ब्याज एवं व्ययों सहित उपर्युक्त सम्पूर्ण दायित्व तथा बकाये अदा करने के लिए सरफैसी अधिनियम केनियम 8(6) एवं 9 के तहत 30 दिवसीय विधिक सूचना दी जाती है जिसमें असफल रहने पर उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की बिक्री की जायेगी। कर्जदार/रों से 30 दिनों के भीतर सम्पत्ति से अपने अप्रभारित सामान हटाने का निवेदन किया जाता है अन्यथा इसे उनके जोखिम व लागत पर सम्पत्ति से हटा दिया जायेगा।

स्थान : उत्तर प्रदेश, तिथि : 5 अगस्त, 2023 — **ह./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**

HDB FINANCIAL SERVICES

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009,
शाखा कार्यालय : खसरा सं. 47, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे–विकासपुरी–दिल्ली 110018

आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्तागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को बंधक रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणानेक)/वित्तीय सुविधा(एं) प्राप्त की थीं और आप ने अपने वित्तीय अनुशासन को बनाये नहीं रखा उनका प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं। आपकी चूकों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरांत, कंपनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की है, जिसकी विषय–वस्तु को, आपको सूचना से अवगत कराने के वैकल्पिक सेवा–माध्यम के :प में तथा उसके द्वारा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार यहां निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना के अंतर्गत अभ्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं :

1. उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम : बिल्डएड्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड – शॉप नंबर 1, द ब्रिस्टल होटल – रोड डीएलएफ फेज़–आई गांव – सिकंदरपुर घोसी गुड़गांव 122002 हरियाणा –और इसके अलावा: प्लॉट नंबर 303 और 304 द रेजीडेंसी, अपार्टमेंट आर्डी सिटी सेक्टर –52, गुड़गांव–122011 – राज कुमार बंटा – सी303–304 द रेजीडेंसी, अपार्टमेंट अर्डी सिटी सेक्टर–52, गुड़गांव–122011 हरियाणा –अमिता बंटा – सी303–304 द रेजीडेंसी, अपार्टमेंट अर्डी सिटी सेक्टर–52 : ऋण खाता संख्या : 13966795/9017134; ऋण राशि : रु. 2,165,000.00/–(इक्कीस लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या 13966795 द्वारा और रु. 11,000,000.00/– (एक करोड़ दस लाख रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या 9017134 द्वारा: मांग सूचना: 28/07/2023; दावा की गई राशि: रु. 27.07.2023 तक 12267436.3/– (रुपये एक करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार चार सौ छत्तीस और पैसे तीस मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित। एनपीए दिनांक: 03.07.2023; प्रतिभूति का विवरण: संपत्ति का सारा टुकड़ा और पार्सल, फ्लैट नंबर सी–303, द रेजीडेंसी अपार्टमेंट, आर्डी सिटी, सेक्टर–52, गुड़गांव–121002, हरियाणा

2. उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम: पृथ्वी कुकरेजा – सी 21 एफ/एफ दुग्गल कॉलोनी खानपुर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास दिल्ली–110062 दिल्ली –और इसके अलावा: 13/40 बी तिलक नगर दिल्ली–110018 – सुनीता देवी कुकरेजा – सी 21 एफ/एफ दुग्गल कॉलोनी खंडूर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास दिल्ली–110062 दिल्ली – वैशाख सिंह कुकरेजा – सी 21 एफ/एफ दुग्गल कॉलोनी खानग्रू यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास दिल्ली–110062 दिल्ली–: ऋण खाता संख्या: 1747025 ; ऋण राशि: रु. 3543893/– (पैंतीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ तिरानबे रुपये मात्र): मांग सूचना: 28/07/2023; दावा की गई राशि: रु. 27.07.2023 तक 2,851,264.81/– (रुपए अट्ठाईस लाख इक्यावन हजार दो सौ चौंसठ और पैसे इक्यासी मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित। एनपीए दिनांक: 03.07.2023; प्रतिभूति का विवरण: संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, मकान नंबर–13/40, दूसरी मंजिल, तिलक नगर, पार्क के पास 110018, साथ में एक कार और एक दोपहिया वाहन पार्किंग की जगह, संपत्ति क्षेत्र 100 वर्ग गज, संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर– 13/4/–ए, दक्षिण: प्लॉट नंबर–13/40–ए, पूर्व: गली और पश्चिम: गली – संपत्ति सीमा – उत्तर: प्लॉट नंबर 13/4/–ए, दक्षिण: प्लॉट नंबर 13/40ए, पूर्व: गली, पश्चिम: गली

3. उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम: शिव साईं ट्रेडिंग कंपनी ख नं 51/18,19/1,22/1,23,24 52/2/1,3/1 4/1 ग्राउंड फ्लोर नई बस्ती ग्राम बांकनेर नरेला दिल्ली–110040 दिल्ली–राधेश्याम शर्मा– मकान नंबर 63, नई बस्ती बैंकनेर उत्तर पश्चिमी दिल्ली दिल्ली–110040 बीरमति कंवर भान – मकान नंबर 63, नई उत्तरी बस्ती बैंकनेर दिल्ली पश्चिम दिल्ली 110040 – सुरेश कुमार – मकान नंबर 63, नई उत्तरी बस्ती बैंकनेर दिल्ली पश्चिमी दिल्ली 110040: ऋण खाता संख्या: 7739786; ऋण राशि: रु. 2000000 (केवल बीस लाख रुपये): मांग सूचना: 28/07/2023; दावा की गई राशि: रु. 27.07.2023 तक 1,661,545.64/– (रुपए सोलह लाख इकसठ हजार पांच सौ पैंतालीस और पैसे चौंसठ मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित। एनपीए दिनांक: 03.07.2023; प्रतिभूति का विवरण: संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, जिसका माप 170 वर्ग गज (3 बिस्वा) का प्लॉट है। कुल भूमि में 3/311 हिस्सा 311 बिस्वा, मुस्तातिल नंबर 51, किला नंबर 18, 19/1, 22/1, 23 और 24, मुस्तातिल नंबर 52, किला नंबर 1/2, 2/1 मिनट , 3/1 और 4/1/1, बिक्री विलेख के अनुसार नरेला दिल्ली में स्थित दस्तावेज़ संख्या–10639, पुस्तक संख्या–1, खंड संख्या 1513, पृष्ठ–197–199 नाम पर 23–8–1971 को पंजीकृत राधे श्याम शर्मा का. संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:– पूर्व:–शिव नारायण की भूमि, पश्चिम:–खुली भूमि, उत्तर:–लेन 15 फीट, दक्षिण:–नोतन दास की भूमि

4. उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम: सुमित कुमार सिंह – बी 373 ब्लॉक बी फर्स्ट फ्लोर हरि नगर नई दिल्ली नई दिल्ली–110064 दिल्ली सुजीत कुमार सिंह – 373 फर्स्ट फ्लोर बी ब्लॉक हरि नगर दिल्ली–110064 दिल्ली – कृष्णा देवी – बी– 373 बी ब्लॉक हरि नगर नई दिल्ली–110064 दिल्ली – कृष्ण कुमार सिंह – बी 373 ब्लॉक बी फर्स्ट फ्लोर हरि नगर नई दिल्ली नई दिल्ली–110